



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

24 अप्रैल 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि पीपल्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिप्पुनितुरा, केरल के साथ
दि मट्टनचेरी महाजनिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, कोचीन, केरल
के स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि पीपल्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिप्पुनितुरा, केरल के साथ दि मट्टनचेरी महाजनिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, कोचीन, केरल के समामेलन की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 27 अप्रैल 2026 (सोमवार) से प्रभावी होगी। दि मट्टनचेरी महाजनिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, कोचीन, केरल की सभी शाखाएं 27 अप्रैल 2026 से दि पीपल्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिप्पुनितुरा, केरल की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/142

(ब्रिज राज)

मुख्य महाप्रबंधक